न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/43)

पूर्णचन्द पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी 4 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर हाल निवासी 83 आर.बी.तहसील रायसिहनगर जिला श्री गंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन सूरतगढ ब्रान्च खण्ड श्री विजयनगर।

रेस्पोर्डेट्स

उपस्थितः 1. श्री नायब सिह – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 15.04.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर चक 4 बी.एल.डी. का पं.नं. 201/373 का कि. नं. 21/0.10 कि.नं. 22/0.12, कि.नं. 23/0.14, कि.न. 24/0.16, कि.न. 25/0.18 बीधा कुल 3.10 बीधा व पं. नं. 201/374 का कि.नं. 1, 2/2 ता 5/2 का 1.024 है. भूमि मे मौका पर कोई नहर आदि नही होने व नहर की सीमा मे उक्त रकबा नही होने से उक्त रकबा को राजस्व रिकार्ड मे गै.मु. नहर के स्थान पर आराजी राज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.09.2016 द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर कैम्प रायसिहनगर में अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी श्री

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गंगानगर कैम्प रायसिहनगर ने अपील को क्षेत्राधिकार मे नही मानते हुए अपील को संक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई गई। इसके बाद यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को ही अपनी अंतिम बहस बताया। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह अनुतोष चाहा गया था कि चक 4 बी.एल.डी. का पं.नं. 201/373 का कि. नं. 21/10 कि.नं. 22/12, कि.नं. 23/14, कि.न. 24/16, कि.न. 25/18 बीधा कुल 3.10 बीधा व पं. नं. 201/374 का कि.नं. 1, 2/2 ता 5/2 का 1.024 हैक्टर भूमि मौका पर नहर आदि मे नही होने व नहर की सीमा मे उक्त रकबा नही होने से उक्त रकबा को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. नहर के स्थान पर आराजी राज दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट व जल संसाधन विभाग से रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस रिपोर्ट के मुताबिक भी मौका पर नहर आदि नही होने व नहर की सीमा मे उक्त रकबा नही होने के संबध मे रिपोर्ट दी। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत उक्त रकबा को राजस्व रिकार्ड मे आराजी राज नही दर्ज करना बतलाया है। लेकिन जब अपीलाधीन भूमि नहर की सीमा मे ही नही है तो ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नही होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश करने की कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेशस दिनांक 27.09.2016 अपास्त किया जाकर उक्त अपीलाधीन भूमि पर जो मौका पर नहर आदि मे नही होने व नहर की सीमा मे उक्त रकबा नही होने से उक्त रकबा को राजस्व रिकार्ड मे गै. मु. नहर के स्थान पर आराजी राज दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उप जिला कलक्टर श्री विजयनगर के आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमे अपीलान्ट के द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। पत्रावली का परीक्षण किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि चक 4 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर के पं.नं. 201/373 के कि. नं. 21 मे 10 बिस्वा, 22 मे 12 बिस्वा, 23 में 14 बिस्वा, 24 में 16 बिस्वा, 25 में 18 बिस्वा कुल 3–10 बीधा व पं. नं. 201/374 के कि.नं. 1, 2/2 ता 5/2 का 1.024 हैक्टर भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. नहर के स्थान पर आराजी राज दर्ज किए जाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम मुख्यतः राजस्व रिकार्ड मे लिपिकीय त्रुटियो को दुरूस्त करने का प्रावधान है। पत्रावली में न तो लिपिकीय त्रुटि का ब्योरा है व न ही लिपिकीय त्रुटि किस प्रकार रिकार्ड में आई, इसका विश्लेषण है। इसके साथ ही चूंकि भूमि की किस्म गै. मु. नहर है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा –16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। उक्त विवेचन, विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर